भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2615

जिसका उत्तर 04 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

अनुबंधित कामगार

2615. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री हेमन्त पाटिल:
श्री ए॰के॰पी॰ चिनराज:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां अनुबंधित कामगारों को नियुक्त करती हैं और यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रत्येक अनुषंगिक कोयला खान में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कामगारों की कार्यदशा और पारिश्रमिक के संबंध में ठेकेदारों और प्रबंधन के बीच क्या कोई समझौता हस्ताक्षरित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए विभिन्न श्रेणियों के कामगारों हेतु निर्धारित कुल देय पारिश्रमिक क्या है;

(घ) क्या कुछ ठेकेदार समझौते के अनुरूप कामगारों को पारिश्रमिक प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) अनुबंधित कामगारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियां संविदा कामगारों की भर्ती स्वयं नहीं करती हैं। तथापि कुछ कार्य आउटसोर्स किए जाते हैं तथा एजेंसियां (ठेकेदार), जिनसे कार्य आउटसोर्स किए जाते हैं, वे उक्त कार्य के लिए अपने कामगार नियुक्त/तैनात करती हैं। ठेकेदारों को निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) के अनुसार कार्य दिया जाता है जिसमें प्रयोज्य अधिनियमों के सभी सांविधिक उपबंध होते हैं। ठेकेदारों को ठेका अनुबंध में वर्णित संगत अधिनियमों/लागू नियमों का पालन करना होता है। ऐसी एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा सीआईएल की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में लगाए गए कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	कंपनी	संविदागत जनशक्ति की संख्या (01.11.2019 के अनुसार)
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9,516
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	4,685
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	5,070
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	7,348
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13,198
6.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	15,734
7.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि.	14,595
8.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	964
9.	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	696
10.	कोल इंडिया लि. (मुख्यालय)	283
कुल		72,089

(ग): खनन कार्यकलापों के लिए संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी)/ संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 07.12.2015 और 25.05.2016 की अधिसूचनाओं में अधिसूचित किए गए अनुसार किया जाता है जो संबंधित सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी मजदूरी की न्यूनतम दर जिसमें मूल दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) शामिल है, निम्नानुसार हैः-

कर्मचारियों की श्रेणी	**मजदूरी की मूल दर (रु. में) प्रतिदिन**	**01.10.2019 से प्रभावी वीडीए (रु. में) प्रतिदिन**	**01.10.2019 से वीडीए सहित मजदूरी की दर(रु. में) प्रतिदिन**
अकुशल	787.00	69.00	856.00
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	817.00	71.00	888.00
कुशल	847.00	74.00	921.00
अतिकुशल	877.00	77.00	954.00

गैर-खनन कार्यकलापों के लिए संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान संबंधित सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाता है।

(घ) से (च): ठेकेदारों को अनुबंध/लागू नियमों के अनुसार भुगतान करना होता है। कोयला कंपनियों का प्रबंधन प्रधान नियोक्ता के रूप में यह सुनिश्चित करने के सभी संभव उपाय करता है कि संविदा कामगारों को अनुबंध/लागू नियमों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

****